

नम्बर
महक
कुम
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 124/2020 पा० पत्र

1. श्री सोहन पिं पंजी (ग्राम) नि० खण्डपरीषद (बंगाली) तटकरेडा-को०

--प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती उममी पिं पंजी (ग्राम) नि० खण्डपरीषद (बंगाली) तटकरेडा-को०

--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 19/10/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के
 हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बंगाली पटवार हल्का बंगाली
 0अ0नि0 क्षेत्र बंगाली में उनके खाता संख्या 431 की आ0नं 995 996 997
998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
 स्थित है।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा
 बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी
 आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/8/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण
 ने अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से
 पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की
 रा-फैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों
 ग देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया
 जाकर ग्राम बंगाली पटवार हल्का बंगाली भू0अ0नि0 क्षेत्र बंगाली में उनके खाता
 संख्या 431 की आ0नं 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
 स्थित है।

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भूअनि0
बंगाली को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
 फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
 कब्जे की यथस्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल
 खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
 करेडा (जिला भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
 पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
 करेडा (जिला भीलवाडा)